न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 137/2017

जगमालसिंह पुत्र हरबक्शसिंह जाति जटसिख निवासी 69 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. गुरमेज कौर पत्नी इन्द्रजीतसिंह
2. मुखत्यार सिंह पुत्र इन्द्रजीतसिंह
3. कुलदीपसिंह पुत्र इन्द्रजीतसिंह
4. सर्वजीतकौर पुत्री इन्द्रजीतसिंह
5. हरभजनसिंह पुत्र हरबक्शसिंह

} जाति जटसिख निवासीगण 69 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
दिनांक 14.08.2017

उपस्थितः–

श्री महेन्द्रपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी

श्री पी.डी. लूथरा अभिभाषक रेस्पों.सं. 1

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पों. संख्या 1 से 5 ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251 ए तहत पेश कर चक 69 आर.बी. के मु.न. 25 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र का जबाव अप्रार्थी/अपीलांट पेश कर कथन किया कि मु.न. 38 के कि.न. 4 से 6 व 15, 16, 25 में रास्ता चालू है जो स्वीकृत किया जावे। सुनवाई करने के पश्चात् अधी.

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायलय ने दिनांक 14.08.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने इस न्यायालय के आदेश की पालना किये बिना ही आदेश पारित कर दिया है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है जिससे वे आते जाते हैं एवं अपीलांट ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वैकल्पिक रास्ता बताया है जिसे स्वीकार न कर अधी. न्यायालय ने भूल की है। मु.न. 25 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में पहले से खाला स्वीकृत है इसलिए इसमें से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही रास्ता स्वीकृत किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2016 (1) डब्ल्यू.एल.सी. राज. पेज 338, 2016 डीएनजे(रेवेन्यू) 222 की नजीरे पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधी.न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में एवं रास्ता की आवश्यकता को दृष्टिगत रख रास्ता स्वीकृत किया है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजा दिलाये जाने के आदेश दिये है। अतः अपील खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 14.08.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा रेस्पो. के प्रार्थना पत्र पर रास्ता स्वीकृत किया है जो विधिक Mandatory प्रावधानों का उल्लघंन कर स्वीकृत किया है। अतः निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2017 इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.09.2015 की पालना में दिये निर्देशानुसार पारित किया है जिसमें भी रास्ते की आवश्यकता को विवेचित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रकरण नये सिरे से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर (एन.)

कर गुणावगुण के आधार पर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर